राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(514)एम.ई / ग्रुप–1 / 2017 जयपुर, दिनांक : 11 OCT 2018

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(25)एम.ई. / ग्रुप–1 / 2012 दिनांक 21.07.2017 के द्वारा डॉ0 अनिल कुमार जांगिड़ (मेरिट क्रमांक 06 / पिछड़ा वर्ग, जन्म तिथि 10.03.1979) को सहायक आचार्य, मेडिकल गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी, के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में किया गया था। नियुक्ति आदेश के अनुसार डॉ0 जांगिड़ को आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की समयावधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना था। प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज उदयपुर से डॉ0 जांगिड़ के पदस्थापन के सम्बन्ध में सूचना चाही गई। जिंसके क्रम में प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज उदयपुर के पत्रांक रनाटै / नियुक्ति–I / एफ. (सूचना) / 2018 / 1530 दिनांक 14.09.2018 द्वारा अवगत कराया गया कि डॉ0 अनिल कुमार जांगिड ने नवनियुक्ति पर सहायक आचार्य, मेडिकल गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी के पद पर मेडिकल कॉलेज उदयपुर में कार्यभार ग्रहण नही किया। डॉ0 जांगिड़ द्वारा नवनियुक्ति **पर** कार्यग्रहण करने अथवा नही करने के सम्बन्ध में न तो इस विभाग को और न ही पदस्थापन स्थान पर किसी प्रकार की कोई सूचना प्रस्तुत की गई है।

अतः डॉ0 अनिल कुमार जांगिड के द्वारा नवनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नही करने के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(25)एम.ई. / ग्रुप–1 / 2012 दिनांक 21.07.2017के द्वारा उनका सहायक आचार्य, मेडिकल गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को इस विभाग के आदेश क्रमांक प. प. 1(25)एम.ई. / ग्रुप–1 / 2012 दिनांक 21.07.2017 के संदर्भ में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
4. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. डॉ0 अनिल कुमार जांगिड़ पुत्र श्री मातादीन जांगिड़, ई–142–ए कटारिया कॉलोनी, राम नगर एक्टेंशन, सोडाला, जयपुर (राज.)(**रजिस्टर्ड डाक से**)।
6. सहायक प्रोग्रामर चिकित्सा शिक्षा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव